डिक्री

(आ0 20 नियम 6 / जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री सी. एल. शर्मा (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

श्री शांतिलाल S/o श्री सोहन लाल महाजन, निवासी -सुरास, तहसील-माण्डल

वादी

बनाम

1. श्रीमती नन्दु पुत्री श्री सोला भील निवासी -सुरास, तहसील - माण्डल
2. श्री बालु पिता श्री माना भील निवासी -सुरास, तहसील - माण्डल
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल, तहसील - माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा इन्द्राज दु0 मुकदमा न0 / वर्ष 100/14 निर्णय दिनांक 1.6.18 यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुददई व अशोककुमार श्रोत्रिय मनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण विरुद्ध निर्णित किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुरास पटवार हल्का सुरास तहसील-माण्डल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित आराजी सं. 982 चाह (कुआ) का 1/3 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे दर्ज बालु पिता माना भील का 1/6 हिस्सा व श्रीमती नन्दु पुत्री सोला भील का 1/6 हिस्सा कुलिया 1/3 हिस्सा वादी के नाम पर राजस्व अभिलेख मे दर्ज किया जावे।

खर्चा फरिकैन अपना - अपना वहन करे।

आज तारीख 01-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा